

झारखपंड राज्य प्रवृषण मिसंत्रण पर्वव

्नांच प्रशासन भवन, एवंठ इंठ सीठ, सुवी; संधी व्याम : (0651) 2400051, 2400852, फैल्मा :- 0681-2400850

अधिश्चना

अधिश्चना शंख्या है - दी.

राजी, विवांकः 16/1/13

पर्यव मंडल की 26 वीं बैठक विनांक 06.04.2013 के कार्ववती शंख्यां 6 में लिए नचे निर्णय उप NOC Export की बैठक विनांक 09.01.2013 (पर्भव आपांक - जी 143, विनांक 09.01.2013) में तिये नवे निर्णय के आलोक में पूर्व में निर्णत NOC Guideline में निर्णाधिक शंशीयन किया जाता है:-

- 1. Green Category Units को NOC प्राप्त करने के घुट की शीमा पूर्व में पर्धव की अधिश्वना शंख्या -22, विनाक 22.03.2005 के ब्राप्त Plant & Machinery बा Investment की शिमा २० 10 साझ तक थी, को नवा कर २, ६० साख किया जाता है। उत्तत शिमा की नपाना शिक मन्नीनरी के सानत पर सान् है, उसमें जेनरेटर का अर्च (50 KVAतक) शमिमांता नहीं है। अन्य शर्त पूर्ववत शहेंने।
- 2, 50 KVA तक के इंग्लता वाले D.G. Set (with adequate acoustic enclosure)
 ि जिनकी लाज़त २-० 50 लाख तक हो को पर्वव से सहमति सेने की ब्रावनयकता नहीं है।

 मोबाईल दावर के NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ववत् वन उवं पर्यावरण विभाग,
 व्यारख्यण्ड शरकार के ब्रावेश पत्र संख्या -03/पर्वा० प्रवृ०-05/11-1116, विनांक
 15/04/2011 से-निर-पित होजी।
- 3. Orange Category Units जो पूर्व में Orange Special Category Part D, Orange Special Category part E, Orange Ordinary Category part F तीन, आज में विभावता थे लागी को Orange Category नामित करते हुउ Guideline निजन स्था संशोधित किया जाता है।

SL No.	Minimum distance from		Distance	
1.	NH		100 Mtr	
2.	SH .		100 Mtr	
3.	Dist Metal Road		50 Mtr	
4.	Railway Line	1	100 Mtr	
5	River	Ī	100 Mtr	
6.	Any Other River	- 12	100 Mtr	
7,	Habitation ·	-	200 Mtr	
- 8.	Forest/ Forest Land		400 Mtr	

१०/-(शंजय चुझार शिक्षा) शवस्य शिक्ष- कापांक :

र्शिची, विनाव्य :

प्रतितिति - प्रधान शचिव, वन उवं प्रधावरण, विभान, स्रांप्ट्राप्ट शरकार, शिक्षी शचिव, वयोन विभाग, सार्प्ट्राप्ड शरकार श्रेंबी/निवेश्वन वर्गन, नार्प्ट्राप्ड सेंबी / मुख्य कार्प्ट्रपना निरीक्षाक, सार्प्ट्राप्ड शेंबी/ अध्यक्ष, नार्प्ट्राप्ड बेंबर और्फ कॉमर्स, शेंबी को श्रुंचनार्थ उवं आवश्यक कार्र्याई हेतु प्रेथिता

> 'हं0/-(शंजन स्टुआए रिक्टा) शदस्य शक्ति

muico B - 4708

eta farias . 16 78 113

प्रतिक्षिप - 1. शशी शास्त्रा प्रयान (२०) शशी क्षेत्रीय प्रवाधिकाशि वर्षाधिकाशि वर्षाधिकाशि क्रियों / कर्मचारियों को शुचनार्थ दुवं आवश्यक कार्रवाई हेत् द्वेषित।

2. आ२२वण्ड राज्य प्रवृद्धारा निवंत्रपा पहित् के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।

वांच्य क्रुबार दिवा सवस्य संसिद्ध सेर्



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. Division Building, HEC, Complex, Dhurwa, Ranchi Ph.: (0651)-2400852, 2400851, 2400902, 2400979, Fax: 2400850

Ref. No. 13-10

Dated 0919/15

Notification

In anticipation of approval of the Board of Directors of the Jharkhand State Pollution Control Board (hereinafter called as Board), minor modification is hereby made in Notification no B-21, dated 16-08-2013 of the Board to the extent that Solar PV Power Projects will be exempted from obtaining any NOC/consent for establishment and consent to operate under the pollution control laws from Jharkhand State Pollution Control Board, irrespective of quantum of investment.

All other conditions will remain unchanged.

Sd/-(Sanjay Kumar Suman) Member Secretary

Memo No 3348

Ranchi, Dated 0919/15

Copy to: Principal Secretary, Department of Environment, Forests and Climate Change/ Principal Secretary, Department of Energy, Government of Jharkhand/All Regional Officers/ All Section Heads for information and necessary action.

Sd/-

(Sanjay Kumar Suman) Member Secretary

Memo No 13-3348

Ranchi, Dated 09/9/15

Copy to: PS to Chief Secretary, Government of Jharkhand for information in pursuance of the decision taken in the high level meeting regarding setting up Solar Power Plants in the State held under the chairmanship of the Chief Secretary on 25-08-2015.

(Sanjay Kumar Suman) Member Secretary

do